न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2023/1000 दर्ज तिथिः–17.04.2023

प्रार्थी		अप्रार्थी
बुधराम	बनाम	सरकार
जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश विश्नोई		जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131, 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956
निर्णय तिथिः–17.01.2025

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 188/3/1.3921 है0 मौजा आलपुरा तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। उक्त खसरे के सेढा सेढ अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 188/0.9712 है0 मौजा आलपुरा में अवस्थित है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 188 से विभक्त होकर कायम हुए हैं। प्रार्थी के खसरा संख्या 188/3 की तरमीम अप्रार्थीगण के खसरान में करने से मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई है। अंत में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 188/3 की तरमीम मौका कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

2. प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/2024/2316 दिनांक 21.11.2024 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना–पत्र को विड्रो करना चाहते हैं तथा इस संबंध में किसी प्रकार की तरमीम दुरूस्त नहीं करवाना चाहते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र जरिये विड्रो खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर